कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना) जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक /311 /जि.पं. / स्थापना / MGNREGA / 2017–18 राजनांदगांव, दिनांक 02/05/2017

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक 439 /पंग्राविवि / 22 / 2017 रायपुर दिनांक 01.02.2017 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिला / जनपद पंचायत स्तर पर निम्नानुसार स्वीकृत पदों को दिनांक 28.02.2018 तक निरंतर रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्र कमांक 1227 दिनांक 30.03.2017 द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर मस्टररोल एन्ट्री, ऑन लाईन वेजलिस्ट तैयार करने एवं एफटीओ तैयार किये जाने हेतु अतिरिक्त 09 डाटा एन्ट्री आपरेटर की भर्ती किये जाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार संविदा पदों में चयन हेतु शैक्षणिक अर्हता व मेरिट अंक के निर्धारण के अनुक्रम पर जनपद पंचायत स्तर पर अधोलिखित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी, इच्छुक अभ्यर्थियों से **दिनांक 19/05/2017 को सायं 05:30** बजे तक निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है:–

क्र.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	एकमुश्त वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर (जिला / जनपद स्तर पर)	09	13776 /–	1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षाय डिप्लोमा तथा 3. कम्प्यूटर मे हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंकों का Weightage देते हुए	40 अंक
					कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त अंक के आधार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	45 अंक
					शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :–	
					न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5 अंक
					5 वर्ष तक का अनुभव	10 अंक
					5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15 अंक

वर्ग	मुक्त	महिला	भूपूसै	विक	योग
अना	2	1	-	1	4
अपिव	1	1	-	-	2
अजा	1	-	-	-	1
अजजा	1	1	-	-	2
योग	5	3	-	1	9

नियम एवं शर्तें:–

1. छ.ग. शासन के नियमानुसार निःशक्तजन, महिला एवं भू.पू.सै. के लिए उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
2. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला / भू.पू.सै. / निःशक्तजन अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
3. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
4. संविदा नियुक्ति दिनांक 28.02.2018 तक के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
5. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर एवं शासन द्वारा समय–समय पर चयन के संबंध में दिशा–निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा।
6. परिस्थिति वश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग / आंशिक भाग निरस्त की जा सकती है।
7. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
8. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नही की जावेगी।
9. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी से सत्यापित निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. आयु सीमा– आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2017 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होगी एवं शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी।
11. अजा. / अजजा. / पिछड़ा वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
12. महात्मा गांधी नरेगा में **कदाचरण के आरोप में हटाये गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नही करने के कारण सेवा वृद्धि नही** किये गये व्यक्ति / अभ्यर्थी चयन के पात्र नही होंगे।
13. विज्ञापित पद की पूर्ति हेतु यदि अत्याधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन समिति के निर्णयानुसार उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण हेतु आहूत किया जायेगा। उम्मीदवार को कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर उसी आरक्षण वर्ग में वरीयता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जावेगी जिस आरक्षित वर्ग में उन्हे कौशल परीक्षा में बुलाया जायेगा।

14. कौशल परीक्षा में आरक्षण वाले बुलाये गये आवेदको को उनके मेरिट सूची उसी आरक्षित वर्ग के अनुसार तैयार किया जायेगा, परन्तु अनारक्षित वर्ग मे बुलाये गये आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग मेरिट सूची मे स्थान नही बना पाने की स्थिति में मेरिट के अनुसार आरक्षित वर्ग में लाभ दिया जायेगा।
15. अनुभव अंक हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। वर्तमान मे कार्यरत होने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा यदि वर्तमान में कार्यरत नही हैं तो छोडने के कारण का नियोक्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर अनुभव अंक प्रदान नही किया जावेगा।
16. प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन के संबंध में तथा विवाद की स्थिती में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

<u>आवेदन करने हेतु अनुदेश :–</u>

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत राजनांदगांव** के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से **दिनांक 19/05 /2017 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक** अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
   प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करे।
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् अभ्यार्थियों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर दोनो आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगें। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
6. लिफाफे के ऊपर पद नाम एवं आरक्षण का प्रवर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
7. एक से अधिक पद पर आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र पृथक–पृथक बंद लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ <u>आवश्यक मुल्य की टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा</u> जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदन जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन में आवेदक का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।
10. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चत्तर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार तथा पद की संख्या में कमी– वृद्धि किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
11. आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत विज्ञापन जिला पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है। जिला पंचायत राजनांदगांव की वेबसाइड <u>www.zprajnandgaon.gov.in</u> से अवलोकन किया जा सकता है।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव